



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 1995/माघ 14, 1916

No. 68]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 1995/MAGHA 14, 1916

राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी (आचरण)

विनियम, 1994

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1995

का.आ. 77(अ)।—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1994 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) ये राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी पर लागू होंगे जब तक कि संविदा करार या

नियुक्ति पत्र की शर्तों में अन्यथा न हो परन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :—

(क) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, और

(ख) अस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारी।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो :

(क) "अधिनियम" से अर्थ राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ इन विनियमों के प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;

(ग) "परिवार" का अर्थ—

(1) पुरुष कर्मचारी के मामले में उसकी पत्नी, चाहे वह उसके साथ रह रही है या नहीं, परन्तु कानूनी तौर पर अलग हुई पत्नी शामिल नहीं है और महिला कर्मचारी के मामले में उसका पति, चाहे उसके साथ रह रहा है या नहीं, परन्तु कानूनी तौर पर अलग हुआ पति शामिल नहीं है;

(2) कर्मचारी के बच्चे या सौतेले बच्चे, चाहे वे कर्मचारी के साथ रह रहे हैं या नहीं, और वे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं परन्तु वे बच्चे या सौतेले बच्चे शामिल नहीं हैं जिनके संरक्षण के लिए कर्मचारी को किसी कानून के तहत या उसके द्वारा उसे वंचित किया हो, और

(3) कोई व्यक्ति जिसका कर्मचारी के साथ खून का रिश्ता है या वह विवाह से उससे या उसके पति/पत्नी से संबंधित है और ऐसे कर्मचारी पर पूरी तरह आश्रित है;

(घ) "सरकार" का अर्थ केन्द्रीय सरकार है;

(ङ) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनकी परिभाषा इन विनियमों में नहीं की गई है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

3. विनियमों की व्याख्या करने और कार्यान्वित करने की शक्ति : (1) इन विनियमों की व्याख्या करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित है, जिसे एतद्वारा यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने या उनके प्रयोजनों पर अमल करने के लिए या अन्यथा राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए यथावश्यक प्रशासनिक अनुदेश जारी करें।

(2) इन विनियमों के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग करने योग्य शक्तियाँ किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी जो पहले बताए गए प्राधिकारी से प्रवर हो।

अध्याय-II

आचरण

4. कर्मचारी की सेवा का कार्यक्षेत्र .—जब तक कि किसी मामले में इसे अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो, किसी कर्मचारी का सम्पूर्ण समय राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकार में होगा और वह राष्ट्रीय आवास बैंक के कारोबार से उस हैसियत से और उस स्थान पर सेवा प्रदान करेगा, जैसा कि उसे समय-समय पर निर्देश दिया जाएगा।

5. विनियमों और आदेशों के अनुपालन का दायित्व .—राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रत्येक कर्मचारी हर समय अपनी ड्यूटी के प्रति पूर्ण सत्य-निष्ठा और समर्पण और अपनी ड्यूटियाँ ईमानदारी तथा परिश्रम के साथ बनाए रखेगा, इन विनियमों के अनुसार चलेगा और इनका अनुपालन करेगा और उन सभी आदेशों और निर्देशों का अनुपालन करेगा, उन्हें पूरा करेगा और उन्हें मानेगा जो उसे किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी सरकार ड्यूटी

के दौरान समय-समय पर दिया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार या संचालन या नियंत्रण में उसे उस समय तैनात किया गया हो।

6. राष्ट्रीय आवास बैंक के हितों का कर्मचारियों द्वारा उन्नयन .—प्रत्येक कर्मचारी राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा ईमानदारी और वफादारी से करेगा और वह राष्ट्रीय आवास बैंक के हितों के उन्नयन के लिए भरसक प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देनों में शिष्टाचार और सावधानी दर्शाएगा।

7. गोपनीयता बनाए रखने की अनिवार्यता .—प्रत्येक कर्मचारी, सेवा में रहते हुए या अपनी सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र या बर्खास्तगी के बाद, राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यकलापों और उसके संगठनों के कार्यकलापों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा और गोपनीय प्रकृति की जानकारी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जनता के किसी सदस्य को या किसी बाहरी अभिकरण को या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी ऐसे कर्मचारी को, जो ऐसी जानकारी का हकदार नहीं है, तब के सिवाए नहीं होगा जब कि :—

(1) ऐसी जानकारी देना विधि के अनुसार या बैंकों के बीच सृजित आचरण और प्रथाओं के अनुसार है;

(2) उसे न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसी जानकारी देने के लिए विवश किया जाता है;

(3) किसी बरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है।

8. साक्ष्य देना .—(1) उप विनियम (3) में यथा उपबंधित के सिवाए कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी व्यक्ति, ममिति या प्राधिकारी द्वारा की जा रही जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहाँ उप विनियम (1) के अधीन मंजूरी दी गयी है, वहाँ ऐसा साक्ष्य देने वाला कर्मचारी राष्ट्रीय आवास बैंक, सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्य की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस विनियम की कोई भी बात निम्नलिखित को दिए गए साक्ष्य को लागू नहीं होगी :—

(1) सरकार, राज्य सरकार, संघ, राज्य विधान भण्डल या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष जांच में, या

(2) किसी न्यायिक जांच में, या

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में।

9. प्रदर्शन.—कोई कर्मचारी किसी ऐसे प्रदर्शन में मन्मत्त नहीं होगा जो भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित पर प्रतिकूल है या जिसमें प्रभाव डालने वाला, न्यायालय अक्षय/भानहानि या अपराध उद्घाटन होगा है।

10. देश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले संगमों में प्रवेश.—कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे संगम में प्रवेश नहीं लेगा, या उसका सदस्य नहीं बना रहेगा जिसके उद्देश्य और क्रिया-कलाप भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

11. किन्हीं संघों और हड़तालों आदि में शामिल होने के विरुद्ध विवेक.—(1) कोई भी कर्मचारी, जो औद्योगिक विवाद विनियम, 1947 के अर्थों के अन्तर्गत "कर्मकार" नहीं है,

(1) राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारियों की किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐगो ट्रेड यूनियन को किसी फेडरेशन का न तो सदस्य और न ही प्रदाधिकारी बन सकता है न ही बना रह सकता है या उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अपने को जोड़ सकता है, जो अधिनियम के अर्थों के अन्तर्गत "कर्मकार" हैं।

(2) कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अन्य कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित किसी मामले के साथ जुड़ी किसी भी प्रकार की हड़ताल या अहिंसक या अनुचित या शिष्ट प्रदर्शन में समागम, या किसी भी तरह का दुष्प्रेरण नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।

(2) किसी ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जो ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न के रूप में है जो उपर्युक्त के अनुसार "कर्मकार" का ग्रेड या उसका पद नहीं है, यह विनियम उस समय तक लागू होगा जब तक वह ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है।

12. राजनीति में भागीदारी करने और चुनाव में खड़े होने पर प्रतिबंध.—कोई भी कर्मचारी राजनीति में या किसी राजनैतिक प्रदर्शन में न तो भाग लेगा और न ही म्युनिसिपल काउंसिल, जिला बोर्ड या किसी अन्य स्थानीय निकाय या किसी विधायी निकाय के सदस्य के लिए चुनाव में खड़ा होगा:

परन्तु किसी कर्मचारी द्वारा इस विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन केवल उसी सूरत में नहीं माना जाएगा जब,

उस समय जारी किसी कानून के द्वारा या उसके तहत, उसे उसकी झूठी प्रशंसा करने के लिए किसी चुनाव प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कहा गया हो;

स्पष्टीकरण: किसी कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत वाहन या आवास पर किसी चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन करना, इस उप विनियम के अर्थों के अन्तर्गत चुनाव में उसके प्रभाव का उपयोग करना माना जाएगा।

13. समाचार पत्रों, रेडियो आदि का योगदान.—(1) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचार पत्र या किसी अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतया या भागतः स्वामी नहीं होगा या उसके सम्पादन या प्रबंध का संचालन नहीं करेगा या उगमें भाग नहीं लेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना या अपने कर्तव्यों के सम्भावपूर्ण निर्वहन के सिवाए, रेडियो प्रसारण या टेलीविजन प्रसारणों में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका में अपने नाम से या बिना नाम के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख नहीं देगा या कोई पत्र नहीं लिखेगा या कोई ऐसा दस्तावेज, कागजात या जानकारी, जो उसकी शासकीय हैसियत में उसके कब्जे में आई हो उसे विदित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा या दूसरों को नहीं देगा।

(3) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई पुस्तक या इसी प्रकार की कोई मुद्रित सामग्री जिसका वह लेखक हो, प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा, या सार्वजनिक सभाओं में या अन्यथा कोई वार्ता या भाषण नहीं करेगा।

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी उस दशा में अपेक्षित नहीं होगी यदि ऐसा प्रसारण या योगदान या प्रकाशन पूर्णतया साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक स्वरूप का है।

परन्तु पुनः यह कि यह विनियम कर्मचारी के पंजीकृत ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस को ऐसे किसी विषय पर दिए गए बकवच्य पर लागू नहीं होगा जो व्यावसायिक विवाद की क्रिस्म का है और विनियम 6 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

14. राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन.—(1) कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई अभिनन्दन पत्र या प्रस्थान अभिनन्दन प्राप्त नहीं करेगा या कोई प्रशंसा पत्र स्वीकार नहीं करेगा या

अपने सम्मान में आयोजित या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सत्कार में उपस्थित नहीं होगा :

परन्तु इस विनियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारी के सम्मान में या किसी अन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या उसके स्थानांतरण के अवसर पर या ऐसे व्यक्ति के सम्मान में जिसने राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा हाल ही में छोड़ी है, आयोजित सारतः प्राइवेट और अनौपचारिक स्वरूप का विदाई सत्कार; और
- (2) राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी संगम द्वारा आयोजित सादे और सस्ते सत्कार को स्वीकार करना।

(2) कोई भी कर्मचारी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी कर्मचारी को विदाई सत्कार मद्दे नज़र देने के लिए उत्प्रेरित या विवश करने के लिए उस पर दबाव या प्रभाव नहीं डालेगा।

15. सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन.—(1) राष्ट्रीय आवास बैंक का कोई कर्मचारी, जो सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जब वह अंततः राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा में नहीं रहता है, सक्षम प्राधिकारी की लिखित रूप से पूर्व मंजूरी के बगैर कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं कर सकेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकेगा :

परन्तु यह कि किसी कर्मचारी को, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति की तैयारी की छुट्टी के दौरान या अस्थीकृत छुट्टी के दौरान उसे कोई विशेष प्रकार का वाणिज्यिक नियोजन शुरू करने की अनुमति दी गई थी तो उसे सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसे नियोजन को जारी रखने के लिए पश्चातवर्ती अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) इस विनियम के प्रयोजनार्थ "वाणिज्यिक नियोजन" का यह अर्थ होगा :—

- (1) किसी कंपनी, सहकारी समिति, फर्म के अधीन एजेंट सहित किसी भी धमता का नियोजन या व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, वित्तीय या व्यावसायिक कारोबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति और इसमें ऐसी कंपनी में निदेशक का पद और ऐसी फर्म में भागीदारी भी शामिल है लेकिन सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः धारित या नियंत्रित किसी निगमित निकाय में नियोजन शामिल नहीं है;

(2) सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के साझेदार के रूप में ऐसे मामलों के संबंध में व्यवसाय स्थापित करना जिनमें सेवानिवृत्त अधिकारी की—

- (क) कोई व्यावसायिक अर्हता नहीं है और उन मामलों के संबंध में जिनमें व्यवसाय स्थापित करना या किया जाना है, वे उसके प्रशासनिक ज्ञान या अनुभव से संबंधित हैं; या
- (ख) व्यावसायिक अर्हता है लेकिन जिन मामलों के संबंध में व्यवसाय स्थापित किया जाना है वे ऐसे हैं जिनमें उसके आहकों को उसकी पूर्व शासकीय हैसियत के कारण अनुचित लाभ दिए जाने की संभावना है; या
- (3) राष्ट्रीय आवास बैंक और/या सरकार के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ सम्पर्क या संबंध वाले कार्य करना।

स्पष्टीकरण: "सरकारी समिति के अधीन नियोजन" के इस खण्ड के प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार का पद धारण किया जाना शामिल है चाहे वह सभापति, अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि जैसे निकल्पी अथवा अन्यथा किसी भी तरह का पद हो चाहे उसे ऐसी समिति में किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।

16. कर्मचारियों को बाहर से नियोजन न मांगना.—कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना बाहरी नियोजन या पद स्वीकार नहीं करेगा, याचना नहीं करेगा या उसे नहीं मांगेगा चाहे वह वेतनिक हो या अवेतनिक।

17. बाहरी निकायों के लिए अंशकालिक कार्य.—कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जो केवल उन्हीं आपवादिक मामलों में मंजूरी प्रदान करता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस कार्य को उसके शासकीय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को अपाय किए बिना किया जा सकता है, किसी गैर-सरकारी या सार्वजनिक निकाय या गैर-सरकारी व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं करेगा या इसके बावजूद कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा। सक्षम प्राधिकारी, उन मामलों के संबंध में, जिनमें वह यह समझता है कि ऐसी मंजूरी देना ठीक है, यह अनुबंध कर सकेगा कि कार्य करने के लिए कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की फीस का संदाय, पूर्णतः या आंशिक रूप में, राष्ट्रीय आवास बैंक को किया जाएगा।

18. निजी व्यापार.—(1) कोई भी कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग, राष्ट्रीय आवास बैंक की अनुमति के

बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार के व्यवसाय या कारबार में नहीं लगेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी, राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, कंपनी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत किसी बैंक या किसी अन्य कंपनी के पंजीकरण, संवर्धन या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा।

परंतु कोई भी कर्मचारी, सहकारी समाित अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सहकारी समाितियों के पंजीकरण, संवर्धन या प्रबंधन, में भाग ले सकेगा, जिन्हें मुख्यतः राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारियों द्वारा और उनके लाभ के लिए गठित किया गया है।

19. दान-आदि का प्रतिग्रहण: (1) इन विनियमों में जैसा कि अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाए, कोई भी कर्मचारी दान प्रतिग्रहित नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को प्रतिग्रहित करने की आज्ञा नहीं देगा।

स्पष्टीकरण: दानपद के अंतर्गत निःशुल्क परिवहन, भोजन, निवास या अन्य सेवा या कोई अन्य धन संबंधी फायदा जोकि किसी निकट के नातेदार या वैयक्तिक मित्र से भिन्न व्यक्ति द्वारा जिसका कर्मचारी के साथ कोई शासकीय व्यवहार नहीं है, प्रदान किया जाता है, आएगा। परन्तु इसमें किसी नैतिक भोजन, यान में ले जाने या अन्य सामाजिक आतिथ्य को शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) विवाह, वर्षगांठ, अन्तेष्टि या धार्मिक कुत्तों जैसे अवसरों पर, जब दान देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप है, कोई कर्मचारी अपने निकट के नातेदारों से दान प्रतिग्रहित कर सकेगा किन्तु यदि दानों का मूल्य 500/- रुपए से अधिक है तो सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(3) उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवसरों पर कोई कर्मचारी अपने ऐसे वैयक्तिक मित्र से भी, जिसका उसके साथ कोई शासकीय व्यवहार नहीं है, दान प्रतिग्रहित कर सकेगा, किन्तु यदि ऐसे दानों का मूल्य 200/- रुपए से अधिक है तो सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(4) किसी अन्य दशा में, कर्मचारी कोई दान, यदि दान का मूल्य 75/- रुपए से अधिक हो तो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना प्रतिग्रहित नहीं करेगा:—

परंतु यदि एक ही व्यक्ति या समुत्थान में 12 मास की अवधि के भीतर एक से अधिक दान प्राप्त हुए हों और उनका संकलित मूल्य 500/- रुपए से अधिक है, तो उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी।

(5) कोई भी कर्मचारी, किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान से, जिसके साथ कर्मचारी का शासकीय व्यवहार है, न तो कोई दान मांगेगा या अधिग्रहित करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को दान मांगने या अधिग्रहित करने की अनुमति देगा।

(6) ब्रांड भी कर्मचारी:—

(1) दहेज नहीं देगा या लेगा या दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित नहीं करेगा, या

(2) यथास्थिति, किसी बधु या बर के माता पिता या संरक्षक से दहेज की प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः मांग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का अर्थ है जो उसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में है।

20. स्टार्कों और शेयरों तथा विनिधानों में सट्टा: कोई भी कर्मचारी, किसी स्टार्क, शेयर या प्रतिभूतियों अथवा किसी भी प्रकार की वस्तुओं या मूल्यांकन चीजों का सट्टा नहीं करेगा या ऐसे विनिधान नहीं करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे विनिधान की अनुमति नहीं देगा जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसके उल्लंघन में पड़ने या प्रभावित होने की संभावना हो।

कोई भी कर्मचारी, कम्पनी के निदेशकों के मित्रों और साझेदारों के लिये आरक्षित कोटा से शेयरों/डिबेंचरों आदि को अपने नाम से या अपने परिवार/बच्चों/भाइयों/पिता/माता/सौतेली मां/सौतेली बच्चों आदि, जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं, के नामों से प्राप्त करने के लिये विनिधान नहीं करेगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में (उदाहरण के लिये, जब आवेदक का कोई निकट संबंधी निर्गम करने वाली कम्पनी का मुख्य प्रवर्तक/निदेशक है) कर्मचारी शेयर/डिबेंचर अधिग्रहण करना चाहता है तो उसे ऐसे अधिग्रहण के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। कोई कर्मचारी, किसी भी कंपनी के कर्मचारी के कोटे से शेयर/डिबेंचर के लिये न तो आवेदन करेगा और न ही आवंटन स्वीकार करेगा। परन्तु इस विनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी कर्मचारी के अपने स्वयं की निधियों के जैसा वह उचित समझे सद्भावपूर्वक विनिधान करने का प्रतिषेध करती है।

स्पष्टीकरण-1: शेयरों या प्रतिभूतियों के वारंवार क्रय या विश्रय या दोनों या अन्य विनिधानों को इस विनियम के प्रयोजन के लिये सट्टा समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-2 : किसी कर्मचारी द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसी कंपनी या संगठन के प्रवर्तक कोटा से, शेयर या कोई अन्य प्रतिभूति अधिग्रहीत करना या स्वीकार करना, जिसके साथ राष्ट्रीय आवास बैंक का आसकीय व्यवहार है, यह समझा जायेगा कि यह विनियान कर्मचारी को उसके सरकारी इयूटी को अबाध करने में उसके लिये उन्मयन उत्पन्न करेगा या उसे प्रभावित करेगा।

21. उधार लेने या उधार देने पर प्रतिबंध

कोई भी कर्मचारी अपने वैयक्तिक हैसियत में,—

- (1) किसी दलाल या साहकार या बैंक के किसी अर्धानस्थ कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ, फर्म, कंपनी या संस्था से, चाहे वह निगमित हो या न हो, जिसका राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ व्यवहार है, उधार नहीं लेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को उधार लेने की अनुज्ञा नहीं देगा या स्वयं को या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को अन्यथा किसी धन संबंधी बाध्यता के अधीन नहीं करेगा;
- (2) किसी भी प्रकार के स्टॉक, शेयर या प्रतिभूतियों के स्ट्रिप्स के क्रय की दशा में पूरी कीमत के लिये या विक्रय की दशा में परिवान के लिये विधियों के बिना क्रय या विक्रय नहीं करेगा ;
- (3) घुड़दौड़ में ऋण उपगत नहीं करेगा ;
- (4) निजी क्षमता में राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी ग्राहक को ऋण नहीं देगा या ऐसे ग्राहक के साथ विल विनियम, सरकारी कागज या किसी भी प्रकार की दूसरी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री का कोई लेन-देन नहीं करेगा ; और
- (5) अपनी निजी क्षमता में दूसरे व्यक्ति की धन संबंधी बाध्यता की गारंटी नहीं देगा या सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना ऐसी क्षमता में दूसरे व्यक्ति को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये सहमत नहीं होगा।

परन्तु कोई कर्मचारी किसी संबंधी या वैयक्तिक मित्र को बहुत कम राशि का ब्याज मुक्त विशुद्ध रूप से अस्थायी ऋण दे सकेगा या उससे स्वीकार कर सकेगा या वास्तविक व्यापारी के ऋण खाते का परिचालन कर सकेगा या उसके निजी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम संदाय कर सकेगा ;

परन्तु यह भी कि विनियम ऐसे ऋण जो कि कर्मचारी द्वारा ऐसी सहकारी ऋण समिति से लिये जा सके जिसके

कि वह सदस्य है या वह किसी दूसरे सदस्य द्वारा ऐसी सहकारी ऋण समिति से लिये गये ऋण के संबंध में जमानती हो, लागू नहीं होगा।

22. कार्यवाहियों को ऋणप्रस्तुता

कोई कर्मचारी अपने निजी कार्यों का प्रबंध इस प्रकार से करेगा कि वह अपनी आभासिक ऋणप्रस्तुता या दिवालिपेन से बच सके जो कर्मचारी वर्ज में हो वह 30 जून और 31 दिसम्बर को अर्ध-वार्षिक आधार पर अपनी स्थिति का हस्ताक्षर किया हुआ विवरण सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा और अपनी दिवरण में उन उपायों को इंगत करेगा जिन्हें वह अपनी निधि सुधारने के लिये कर रहा है। जो कर्मचारी इस विनियम के अन्तर्गत कुछ विवरण देता है या जो निर्धारित विवरण प्रस्तुत नहीं करता है या जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उचित समय के भीतर वह अपने ऋण को समाप्त नहीं कर सकेगा या जो न्यायालय से दिवालिपेन के संरक्षण के लिये आशेषन करता है तो उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

स्पष्टीकरण-1 : इन विनियम के प्रयोजनार्थ कोई कर्मचारी तब वर्ज में माना जायेगा जब तककि उन देनदारियों को छोड़कर जो पूरी तरह प्रतिभूति हों या जो कर्मचारियों की सहकारी ऋण समिति से ली गई हैं, कुल देनदारियां उसके 12 मास के मारभूत वेतन से अधिक हैं।

स्पष्टीकरण-2 : किसी कर्मचारी को अपने ऋणों को उचित समय के भीतर समाप्त करने में तब अक्षम माना जायेगा यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके निजी संसाधनों और अपरिहार्य चालू खर्चों को ध्यान में रखते हुए वह तीन वर्षों के अवधि के भीतर ऋण से मुक्त नहीं होगा।

23. वेतन का अग्रिम रूप से लिया जाना

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण मंजूरी के बिना, अपना वेतन अग्रिम रूप से नहीं लेगा।

24. अभिदाय

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण मंजूरी के बिना, किसी भी उद्देश्य के अनुसरण में, नकद या वस्तु के रूप में, किसी निधियों या अन्य संग्रहणों के समुत्पन्न के लिये अभिदाय नहीं मायेगा या प्रतिवृत्त नहीं करेगा या अपने को उससे सहयोगित नहीं करेगा।

25. जंगम, स्वाधर और मूल्यवान सम्पत्ति

(1) प्रत्येक कर्मचारी अपनी प्रथम नियुक्ति पर अपनी आस्तियों और वायिक्तियों की विवरणी

प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां दी जायेंगी :—

- (क) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त, या उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित या उसके द्वारा पट्टे या बंधक पर या तो अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में हो या किसी व्यक्ति के नाम में धारित स्थावर संपत्ति;
- (ख) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित या धारित शेयर डिबेंचर और नकदी, जिसके अंतर्गत बैंक निक्षेप भी है;
- (ग) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन, या उसके द्वारा अर्जित या धारित अन्य जंगम संपत्ति; और
- (घ) उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपगत ऋण और अन्य दायित्व;

परंतु ऐसे कर्मचारी की दशा में जो पहले ही उस तारीख को राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा में है जिसको ये विनियम प्रवृत्त होते हैं, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के तीन मास के भीतर इस विनियम के निबंधनों के अनुसार विवरण प्रस्तुत करेगा, यह विवरण इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को कर्मचारी के ऊपर परिगणित आस्तियों और दायित्वों के प्रति निर्देश से होगी।

(2) प्रत्येक कर्मचारी प्रति वर्ष राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को अपनी स्थावर संपत्ति की विवरणी राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करेगा।

(3) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, अपने स्वयं के नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में कोई स्थावर संपत्ति पट्टे, बंधक ऋण, विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा अर्जित या व्ययक्त नहीं करेगा।

परंतु यदि ऐसा संव्यवहार :-

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसका कर्मचारी के साथ शासकीय व्यवहार है; या
- (ख) किसी अनुमोदित या ख्याति प्राप्त व्यवहारी के माध्यम से न होकर अन्यथा हुआ है। तो कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

(4) प्रत्येक कर्मचारी, उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा धारित ऐसी जंगम परिसंपत्ति के बारे में, जो या तो उसके नाम पर हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो, प्रत्येक संव्यवहार की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा यदि ऐसी परिसंपत्ति की कीमत 10,000/- रूपए से अधिक हो।

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी यदि ऐसा संव्यवहार निम्नलिखित के साथ हो :-

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसका कर्मचारी के साथ शासकीय व्यवहार है; या
- (ख) किसी अनुमोदित या ख्याति प्राप्त व्यवहारी के माध्यम से न होकर अन्यथा हुआ।

(5) राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी समय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी कर्मचारी से यह अपेक्षा कर सकेगा, कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति का जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, सम्पूर्ण और पूरा विवरण दे। यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपेक्षा करे तो ऐसे विवरण में उन साधनों का व्यौरा सम्मिलित होगा जिसके द्वारा उन स्रोतों का व्यौरा होगा, जिनसे ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी।

26. असर डालने का प्रयास

कोई भी कर्मचारी राष्ट्रीय आवास बैंक के अधीन अपनी सेवा से संबंधित विषय के बावत अपने हितों को अग्रसर करने के लिए किसी बरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य बाहरी असर नहीं डलवाएगा या डलवाने का प्रयास नहीं करेगा।

28. कर्मचारी न तो ड्यूटी से अनुपस्थित रहेगा या उपस्थिति में विलम्ब करेगा।

(1) कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा लिए बिना न तो अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होगा, न ही वह बीमारी या दुर्घटना के मामले में सक्षम प्राधिकारी को उसकी संतुष्टि के अनुसार चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित होगा।

परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में, जब पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना सम्भव नहीं है या कठिन है तो ऐसी अनुज्ञा, सक्षम प्राधिकारी इसके बावत समाधान के अधीन रखते हुए कि ऐसी अनुज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती थी, ऐसी अनुज्ञा बाद में प्राप्त की जा सकेगी।

परंतु पुनः यह कि अस्थायी अस्वस्थता के मामले में चिकित्सा प्रमाणपत्र देने की छूट सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर होगी।

(2) कोई कर्मचारी उन परिस्थितियों को छोड़कर जो उसके नियंत्रण से परे हैं, स्वयं को ड्यूटी से अनुपस्थित रखता है या अपनी छुट्टी के समय से अधिक ठहरता है, उसके लिए उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा, वह ऐसी अनुपस्थिति या छुट्टी से अधिक ठहरने की अवधि के दौरान कावेतन और भत्ते आहरित करने का हकदार नहीं होगा और ऐसे अनुशासनिक उपाय के लिए भी दायी होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आरोपित करेगा।

परंतु, तथापि, सक्षम प्राधिकारी अपने पूर्ण विवेकानुसार, अनुपस्थिति या छुट्टी के उपरांत अनुपस्थिति की ऐसी अवधि को, यदि कर्मचारी को सेवा से सेवा मूक्त, पदच्युत या सेवा का समापन न किया गया हो, विशेषाधिकार, बीमारी, विशेष या असाधारण छुट्टी के रूप में विचार गई अवधि के रूप में मान सकता है लेकिन ऐसी अवधि को ऐसा मानने जाने के लिए अधिकार के रूप में कर्मचारी का कोई हक नहीं होगा।

(3) जो कर्मचारी आभ्यासिक रूप से विलम्ब से उपस्थित रहता है, उस पर ऐसी अन्य शास्ति अधिरोपित करने के अतिरिक्त, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता है, किसी महीने में प्रत्येक तीन दिन विलम्ब से उपस्थित रहने के लिए एक दिन की आकस्मिक छुट्टी समपहत की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी को देर कोई आकस्मिक छुट्टी न होती हो समपहत की जाने वाली छुट्टी की ऐसी अवधि को विशेषाधिकार या असाधारण छुट्टी के रूप में, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी अवधारित करे, माना जा सकेगी।

स्पष्टीकरण : सक्षम प्राधिकारी, अपने पूर्ण विवेकानुसार, किसी कर्मचारी को महीने में दो दिन विलम्ब से उपस्थित रहने के लिए माफ कर सकता है, बशर्ते कि, वे परिस्थितियों, जिनके अधीन कर्मचारी को विलम्ब से उपस्थित होना पड़ा उसके नियंत्रण के बाहर थी और उस सूरत में उप-विनियम (3) के अनुसार विलम्ब से उपस्थिति को आकस्मिक छुट्टी के खाते में नामे डाले जाने पर विचार नहीं लिया जाएगा।

28. स्टेशन से अनुपस्थिति

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा पहले ही प्राप्त किए बिना, ड्यूटी को छोड़ कर, अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा या स्टेशन नहीं छोड़ेगा।

29. विवाह के संबंध में निर्बंधन

(1) (i) कोई भी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से विवाह या उसके लिए संविदा नहीं करेगा जिसका/जिसकी कोई पति या पत्नी जीवित है; और

(ii) कोई भी कर्मचारी जिसका/जिसकी पति या पत्नी जीवित है, किसी व्यक्ति के साथ, विवाह या उसके लिए संविदा नहीं करेगा :

परंतु यह कि राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कर्मचारी को खण्ड (i) या खंड (ii) में, जैसा कि निर्दिष्ट है, ऐसा विवाह करने या उसके लिए संविदा करने की अनुमति दे सकेगा, जब उसका यह समाधान हो जाता है कि :

- (क) ऐसा विवाह ऐसे कर्मचारी और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है; और
- (ख) ऐसा करने के अन्य आधार हैं;

(2) यदि किसी कर्मचारी ने भारतीय राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति से विवाह किया है या ऐसा विवाह करता है तो वह इस तथ्य की सूचना तत्काल राष्ट्रीय आवास बैंक को देगा।

30. मादक पेय और द्रव्य का उपभोग कोई कर्मचारी :—

- (क) उस क्षेत्र में, जहां वह तत्समय रह रहा है, प्रवृत्त मादक पेयों या मादक द्रव्यों से संबंधित किसी विधि का कड़ाई से पालन करेगा।
- (ख) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी मादक पेय या मादक द्रव्य के प्रभाव में नहीं रहेगा और इस बात की सम्यक सावधानी भी बरतेगा कि ऐसे पेय या द्रव्य के प्रभाव से उसके कर्तव्यों के पालन पर किसी भी समय किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े;
- (ग) किसी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय या मादक द्रव्य का उपभोग करने से विरत रहेगा;
- (घ) किसी सार्वजनिक स्थान पर मत्त अवस्था में उपस्थित नहीं होगा;
- (ङ) मादक पेय या मादक द्रव्य का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान" में क्लब (जो अनन्य रूप से सदस्यों के लिए हों और जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथियों के रूप में आमंत्रित करना अनुज्ञेय हो), मधुशालाएं और रेस्तरां, सार्वजनिक प्रवहण और सभी अन्य स्थान अथवा परिसर शामिल हैं, जहां संवाय पर या अन्यथा जनता की पहुंच है या उसकी पहुंच की अनुज्ञा है।

31. कर्मचारी के कार्यों और चरित्र का प्रतिसमर्थन

कोई भी कर्मचारी राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी पतीय कार्य के, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानि कारक आक्षेप की विषय वस्तु रहा है प्रति-समर्थन के लिए किसी न्यायालय या प्रेस का आश्रय नहीं लेगा :

परंतु इस विनियम की किसी बात में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी कर्मचारी के अपने प्राइवेट चरित्र या उसके द्वारा अपनी प्राइवेट हैसियत में किए गए किसी कार्य के प्रति समर्थन का प्रतिवेध करती है और जहां इसके प्राइवेट चरित्र या उसके द्वारा अपनी प्राइवेट हैसियत में किए गए किसी कार्य के प्रतिसमर्थन के लिए कोई कार्रवाई की जाती है तो कर्मचारी ऐसी कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट अपने अव्यवहित धरिष्ठ को प्रस्तुत करेगा।

32. अन्वयार्थ के कार्य

इस अध्याय में निहित इन विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन राष्ट्रीय आवास बैंक (अनुशासन और श्रमीन) विनियम, 1994 के श्रमीन दंडनीय अन्वयार्थ समझा जाएगा।

33. निरसन और व्यावृत्ति

(1) ऐसे प्रत्येक नियम, विनियम, उपविधि या किसी करार या संकल्प में ऐसे प्रत्येक उपबंध को, जो इसमें अल्प-दृष्टि विनियमों में से किसी विनियम का तत्स्थानी है और इन विनियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रयुक्त है और उन कर्मचारियों को लागू होता है, जिन्हें ये विनियम लागू होते हैं, इसके द्वारा निरमित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने हुए भी इन प्रकार निरमित उपबंधों के श्रमीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के श्रमीन दिया गया या की गई समझी जाएगी।

[फाइल नं. एन.एच.बी. (एन.डी.) स्टाफ/पीओएल/
26—कंडक्ट/ 95]
बोर्ड के आदेशानुसार
पी. के. हांडा
महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक

NATIONAL HOUSING BANK EMPLOYEES'
(CONDUCT) REGULATIONS, 1994
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1995

S.O. 77(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.—

(1) These regulations may be called the National Housing Bank Employees' (Conduct) Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to every whole-time employee of the National Housing Bank unless otherwise provided by the terms of any contract, agreement or letter of appointment but shall not apply to;

(a) the Chairman and the Managing Director,
and

(b) staff employed temporarily.

2. Definitions.—In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) "Act" means the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) ;

(b) "Competent Authority" means the Authority appointed by the Board for the purpose of these regulations.

(c) "family" means—

(i) in the case of male employee his wife, whether residing with him or not, but does not include a legally separated wife and in the case of a woman employee her husband, whether residing with her or not, but does not include a legally separated husband.

(ii) children or step children of the employee, whether residing with the employee or not, and wholly dependent on such employee but does not include children or step-children of whose custody the employee has been deprived of by or under any law ; and

(iii) any other person related to, by blood or marriage, to the employee or to his spouse and wholly dependent upon such employee ;

(d) "Government" means the Central Government ;

(e) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Power to interpret and implement Regulations.—

(1) The power to interpret these regulations vests in the Chairman who is also hereby empowered to issue such administrative instructions as may be necessary to give effect to, and carry out the purposes of, the provisions of these Regulations or otherwise to secure effective control of the staff employed in the National Housing Bank.

(2) The powers exercisable by an authority under these regulations shall be exercisable by any authority superior to the authority first mentioned.

CHAPTER II

CONDUCT

4. Scope of an employee's service.—Unless in any case it be otherwise distinctly provided, the whole time of an employee shall be at the disposal of the National Housing Bank and he shall serve the National Housing Bank in its business in such capacity and at such place as he may, from time to time, be directed.

5. Liability to abide by the Regulations and orders.—Every employee of the National Housing Bank shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and discharge his duties

honestly and with diligence, shall conform to and abide by these regulations and shall observe, comply with and obey all orders and directions which may, from time to time, be given to him in the course of his official duties by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may, for the time being, be placed.

6. Employees to promote National Housing Bank's interest.—Every employee shall serve the National Housing Bank honestly and faithfully and shall use his utmost endeavours to promote the interest of the National Housing Bank and shall show courtesy and attention in all transactions.

7. Obligation to maintain Secrecy.—Every employee shall, while in service or after his retirement, resignation or discharge, maintain the strictest secrecy regarding the National Housing Bank's affairs and the affairs of its constituents and shall not divulge, directly or indirectly, any information of a confidential nature either to a member of the public or to an outside agency or to any other employee of the National Housing Bank not entitled to such information unless—

- (i) divulging of such information is in accordance with the law or in accordance with the practices and usages customary amongst banks;
- (ii) he is compelled to divulge such information by judicial or other authority;
- (iii) instructed to do so by a superior officer in the discharge of his duties.

8. Giving of evidence.—(1) Save as provided in sub-regulation (3), no employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority.

(2) Where any sanction has been accorded under sub-regulation (1), no employee giving such evidence criticise the policy or any action of the National Housing Bank or of the Government, or of a State Government.

(3) Nothing in this regulation shall apply to any evidence given :—

- (i) at an inquiry before an authority appointed by the Government, State Government, Parliament, a State Legislature or National Housing Bank; or
- (ii) in any judicial inquiry; or
- (iii) at any departmental inquiry ordered by the competent authority.

9. Demonstrations.—No employee shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to any offence.

10. Joining of associations prejudicial to interests of the country.—No employee shall join, or continue to be a member of, an association the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.

11. Prohibition against joining certain Associations and strikes, etc.—(1) No employee, who is not a 'workmen' within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947, shall—

- (i) become or continue to be a member or office-bearer of, or be otherwise directly or indirectly associated with, any trade union of employees of the National Housing Bank who are 'workmen' within the meaning of that Act, or a federation of such trade unions;
- (ii) resort to, or in any way abet, any form of strike or participate in any violent, unseemly or indecent demonstration in connection with any matter pertaining to his conditions of service or the conditions of service of any other employee of the National Housing Bank.

(2) In relation to an employee who officiates in a higher grade or post which is not a grade or post of a 'workman' as aforesaid, this regulation shall apply for so long as such employee officiates in such higher grade or post.

12. Prohibition against participation in politics and standing for elections.—No employee shall take part in politics or in any political demonstration, or stand for election as member of a Municipal Council, District Board or any other Local Body or any Legislative Body :

Provided that an employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this regulation by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force ;

Explanation : The display by an employee on his personal vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub-regulation.

13. Contribution to Newspapers, Radio, etc.—(1) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication.

(2) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority or except in the bonafide discharge of his duties, participate in a radio broadcast or television telecast or contribute any article or write any letter either anonymously or in his own name or in the name of any other person to any newspaper or periodical, or make public, or publish or cause to be published or pass on to others any document, paper or information which may come into his possession in his official capacity

(3) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority publish or cause to be published any book or any similar printed matter of which he is the author or not to deliver talk or lecture in public meetings or otherwise :

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or contribution or publication is of a purely literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character :

Provided further that this regulation will not apply to any statement to the press made by office-bearers of a registered Trade Union of the employees in any matter which is of the nature of trade dispute and does not contravene the provisions of Regulation 6.

14. Public demonstrations in honour of National Housing Bank employees.—(1) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other employee of the National Housing Bank :

Provided that nothing in this regulation shall apply to :—

- (i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of the employee of the National Housing Bank on the occasion of his retirement, or transfer, or any person who has recently quitted the service of the National Housing Bank ; and
- (ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by the association of employees of the National Housing Bank.

(2) No employee shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any employee of the National Housing Bank to induce or compel him to subscribe towards any farewell entertainment.

15. Employment after retirement.—(1) No employee of the National Housing Bank, who has retired from service shall, within a period of two years from the date when he finally ceases to be in the National Housing Bank's Service, accept or undertake a commercial employment except with the previous sanction in writing of the competent authority :

Provided that an employee who was permitted by the National Housing Bank to take up a particular form of commercial employment during his leave preparatory to retirement or during refused leave shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.

(2) For the purpose of this Regulation, "commercial employment" means :—

- (i) an employment in any capacity including that of an agent, under a Company, Co-operative Society, firm or individual engaged in trade, commercial, industrial, financial or professional business and also

includes a directorship of such a company and partnership of such firm but does not include employment under a body corporate wholly or substantially held or controlled by Government ;

- (ii) setting up a practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the retired officer—
 - (a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are referable to his official knowledge or experience ; or
 - (b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position ; or
- (iii) undertaking work involving liaison or contact with the offices or officers of the National Housing Bank and/or Government.

Explanation : For the purposes of this clause "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

16. Employees not to seek outside employment.—No employee shall accept, solicit, or seek any outside employment or office whether stipendiary or honorary without the previous sanction of the Competent Authority.

17. Part-time work for outside bodies.—No employee shall undertake part-time work for a private or public body or a private person, or accept any free thereof, without the sanction of the competent authority which shall grant the sanction only in exceptional cases when it is satisfied that the work can be undertaken without detriment to his official duties and responsibilities. The competent authority may, in cases in which it thinks fit to grant such sanction, stipulate that any fees received by the employee for undertaking the work shall be paid, in whole or in part, to the National Housing Bank.

18. Private Trading.—(1) No employee or class of employee shall, except with the approval of the National Housing Bank, engage directly or indirectly in any trade or business.

(2) No employee shall, except with the previous sanction of the National Housing Bank, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company registered under the Companies Act or any other law for the time being in force :

Provided that an employee may take part in the registration, promotion or management of Co-operative Societies under the Co-operative Societies Act or any other law for the time being in force, which have been formed mainly by the employees of the National Housing Bank and for their benefit.

19. Acceptance of gifts etc.—(1) Save as otherwise provided in these regulations, no employee shall accept, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to accept any gift.

Explanation : The expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage provided by any person other than a near relative or a personal friend having no official dealings with the employee but shall not include a casual meal, lift or other social hospitality.

(2) On occasions, such as marriages, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of a gift is in conformity with the prevailing religious or social practice, an employee may accept gifts from his near relatives but shall make a report to the competent authority if the value of the gifts exceeds Rs. 500.

(3) On such occasions as specified in sub-regulation (2) an employee may also accept gifts from his personal friends having no official dealings with him but he shall make a report to the competent authority if the value of such gifts exceeds Rs. 200|-.

(4) In any other case, the employee shall not accept any gifts without the sanction of the competent authority if the value of the gifts exceeds Rs. 75|:- :

Provided that when more than one gift has been received from the same person or concern within a period of 12 months the matter shall be reported to the competent authority if the aggregate value thereof exceeds Rs.500|-.

(5) No employee shall solicit or accept or permit any member of his family or any person acting on his behalf to solicit or accept any gift from any person or institution having official dealings with the employee.

(6) No employee shall—

- (i) give or take or abet the giving or taking of dowry; or
- (ii) demand directly or indirectly, from the parent or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation : For the purpose of this regulation, "dowry" has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

20. Speculations in stocks and shares and investments.—No employee shall speculate in any stock, share, or securities or commodities or valuables of any descriptions or shall make or permit any member of his family any investments which are likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties.

No employee shall make investments in the acquisition of shares|debentures etc., in his name or in the names of spouse|children|brothers|father|mother|step-mother|step-children, etc., wholly dependent on the employee out of quota reserved for friends and associates of directors of the company. If an employee desires to acquire shares|debentures etc. out of the

promoters' quota of a company under some exceptional circumstances (e.g. when a close relative of the applicant is the chief promoter|director of the issuer company) he shall seek prior permission of the National Housing Bank for such acquisition. No employee shall apply for or accept allotment of shares|securities out of the employees' quota of any company. Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an employee from making a bona fide investment of his own funds in such manner as he may wish.

Explanation I : Frequent purchase or sale or both of shares or securities or other investments shall be deemed to be speculation for the purpose of this regulation.

Explanation II : Acquisition or acceptance of shares or any other security by any employee or by any member of his family from out of the Promoters' Quota of any company or organisation having official dealings with the National Housing Bank shall be deemed to be investment which is likely to embarrass or influence the employee in the discharge of his official duties.

21. Restrictions on borrowings and lendings.—No employee shall in his individual capacity —

- (i) borrow or permit any member of his family to borrow or otherwise place himself or a member of his family under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate employee of the National Housing Bank or any person, association of persons, firm, company or institution, whether incorporated or not, having dealings with the National Housing Bank;
- (ii) buy or sell stocks, shares or securities of any description without funds to meet the full cost in the case of a purchase of scrips or delivery in the case of a sale;
- (iii) incur debts at a race meeting;
- (iv) lend money in private capacity to a constituent of the National Housing Bank or have personal dealings with such constituent in the purchase or sale of bills of exchange, Government paper or any other securities; and
- (v) guarantee in his private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to indemnify in such capacity another person from loss except with the previous permission of the competent authority :

Provided that an employee may give to or accept from a relative or personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit account with a bona fide tradesman or make an advance of pay to his private employee :

Provided further that nothing in this regulation shall apply to a loan which an employee may obtain from a co-operative credit society of which he is a member or stand as a surety in respect of a loan taken by another member from a co-operative credit society of which he is a member.

22. Employees in debt.—An employee shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. An employee who is in debt shall furnish to the competent authority a signed statement of his position half-yearly on the 30th June and 31st December, and shall indicate in the statement the steps he is taking to rectify his position. An employee who makes a false statement under this regulation or who fails to submit the prescribed statement or appears unable to liquidate his debts within a reasonable time or applies for the protection of an insolvency court shall be liable to disciplinary action.

Explanation I : For the purposes of this regulation an employee shall be deemed to be in debt if his total liabilities exclusive of those which are fully secured or those taken from the Employees' Co-operative Credit Society exceed his substantive pay for 12 months.

Explanation II : An employee shall be deemed to be unable to liquidate his debts within a reasonable time if it appears, having regard to his personal resources and unavoidable current expenses, that he will not cease to be in debt within a period of three years.

23. Advance drawl of salary.—No employee shall draw his salary in advance without the previous sanction of the competent authority.

24. Subscriptions.—No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any objective whatsoever.

25. Movable, Immovable and valuable property.—(1) Every employee, on his first appointment, shall submit a return of his assets and liabilities giving full particulars regarding :—

- (a) the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage, either in his name or in the name of any member of his family or in the name of any other persons;
- (b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned or acquired or held by him;
- (c) other movable property inherited by him or similarly owned, or acquired or held by him; and
- (d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly :

Provided that in the cases of an employee who is already in service in the National Housing Bank on the date these regulations come into force, shall submit a return in terms of this regulation within three months of coming into force of these regulations, the return being with reference to the assets and liabilities as enumerated above of the employee on the date these regulations come into force.

(2) Every employee shall, every year on a date to be specified by the National Housing bank submit a return of his immovable property to the National Housing Bank.

(3) No employee shall except with the previous knowledge of the competent authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family :

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained by the employee if any such transaction is—

- (a) with a person having official dealings with the employee; or
- (b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(4) Every employee shall report to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his own name or in the name of a member of his family if the value of such a property exceeds Rs. 10,000.

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained if any such transaction is —

- (a) with a person having official dealings with the employee; or
- (b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(5) The National Housing Bank may at any time, by general or special order, require an employee to furnish, within a period to be specified in the order, a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such a statement shall, if so required by the National Housing Bank, include the details of the means by which, or the sources from which, such property was acquired.

26. Seeking to influence.—No employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect to matters pertaining to his service under the National Housing Bank.

27. Employees not to be Absent from Duty or be Late in attendance.—(1) An employee shall not absent himself from his duties without having first obtained the permission of the competent authority, nor shall he be absent himself in case of sickness or accident without submitting a medical certificate satisfactory to the competent authority :

Provided that in case of unavoidable circumstances where availing of prior permission is not possible or difficult, such permission may be obtained later subject to the satisfaction of the competent authority that such a permission could not have been obtained :

Provided further that in case of temporary indisposition the production of a medical certificate may, at the absolute discretion of the competent authority, be dispensed with.

(2) An employee who absents himself from duty without leave or overstays his leave, except under circumstances beyond his control for which he must tender a satisfactory explanation, shall not be entitled to draw any pay and allowances during such absence or overstayal, and shall further be liable to such disciplinary measures as the competent authority may impose :

Provided, however, that the competent authority may, at its absolute discretion, treat such period of absence or overstayal, if not followed by discharge, dismissal or termination of services of the employee, as period spent on privilege, sick, special or extraordinary leave, but the employee shall not be entitled as of right to such treatment.

(3) An employee who is habitually late in attendance shall, in addition to such other penalty as the competent authority may deem fit to impose, have one day of casual leave forfeited for every three days he is late in a month. Where such an employee has no casual leave due to him, the period of leave to be so forfeited may be treated as privilege or extraordinary leave as the competent authority may determine.

Explanation : The competent authority may, at its absolute discretion, condone late attendance by any employee up to two days in a month, provided the circumstances under which the employee had to attend late were beyond his control and in that case such late attendance will not be taken into consideration for debiting the casual leave account in accordance with sub-regulation (3).

28. Absence from station.—No employee shall absent himself from his duty or leave the station, except on duty, without the prior permission of the competent authority.

29. Restrictions regarding marriage.—(1) (i) No employee shall enter into, or contract a marriage with a person having a spouse living; and

(ii) No employee, having a spouse living, shall enter into, or contract a marriage, with any person :

Provided that the National Housing Bank may permit an Employee to enter into, or contract, any such marriage as is referred to in clause (i) or clause (ii) if it is satisfied that :—

(a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage; and

(b) there are other grounds for so doing.

(2) An employee who has married or marries a person other than of Indian Nationality shall forthwith intimate the fact to the National Housing Bank.

30. Consumption of intoxicating drinks and drugs.—An employec shall—

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area

in which he may happen to be for the time being;

(b) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug ;

(c) refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place;

(d) not appear in a public place in a state of intoxication ;

(e) not use any intoxicating drink or drug to excess.

Explanation : For the purpose of this regulation the term 'public place' would include clubs (even exclusively meant for members where it is permissible for the members to invite non-members as guests) bars and restaurants, public conveyances and all other places or premises to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise."

31. Vindication of acts and character of an employee.—No employee shall, except with the previous sanction of the National Housing Bank, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character :

Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the employee shall submit a report to his immediate superior regarding such action.

32. Acts of misconduct.—A breach of any of the provisions of the regulations contained in this Chapter shall be deemed to constitute a misconduct punishable under the National Housing Bank Employees' (Discipline and Appeals) Regulations, 1994

33. Repeal and Saving.—(1) Every rule, regulation, bye-laws or every provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to the employees is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

[File No. NHB(ND)|STF|POL|26-COND|95]]

By order of the Board
P. K. HANDA, General Manager
National Housing Bank